कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/71 दिनांक : 20.06.2019

:: परिपत्र ::

विषय :– सम–सामयिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर आयोज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभागीय अधिकारियों के अमर्यादित एवं असंसदीय आचरण एवं व्यवहार के सम्बन्ध में।

विभिन्न विषयों पर वार्ता हेतु आजकल विड़ियो क्रान्फ्रेंस का उपयोग किया जाना लगा है। विड़ियो क्रान्फ्रेंस के मध्य भाग लेने वाले संभागी भले ही आपनी बात नहीं कह रहे हो अथवा तत्समय वार्ता में भागीदार न हो फिर भी उनके क्रियाकलाप, परस्पर वार्ता तथा बैठने, भाग लेने का तौर तरीका कैमरे की नज़र में होता है, जिसें अन्य संभागियों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जाता है। विड़ियो क्रान्फ्रेंस के दौरान आपका अमर्यादित व्यवहार वार्ता की गम्भीरता और विषय की प्रासंगिकता को प्रभावित करता है। शिक्षा अधिकारी होने के नाते सभी शिक्षा अधिकारियों से यह अतिरिक्त अपेक्षा की जाती है कि वे बैठकों, सेमिनारों, कार्यशाला तथा विड़ियो क्रान्फ्रेंस के व्यवहार की मर्यादा से परिचित होवे तथा तद्नुसार कार्य–व्यवहार करें।

इस सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है :–

1. बैठक, कार्यशाला, सेमिनार और विड़ियो क्रान्फ्रेंस में अपने नियत स्थान पर ही बैठे, तथा मध्य में अनावश्यक खड़े न हो बात न करें।
2. बैठक, सेमिनार, कार्यशाला और विड़ियो क्रान्फ्रेंस में आपका बैठना मर्यादित हो तथा अपनी भावभंगिमा को मर्यादित रखें, अनावश्यक इधर–उधर हिल–डुलकर ध्यान भंग न करे।
3. बैठक/कार्यशाला विड़ियो क्रान्फ्रेंसिग के दौरान फोन पर बात करना, फोन देखना, मर्यादित व्यवहार में नही माना जा सकता।
4. जिन अधिकारियों/ कार्मिकों को बैठको/कार्यशाला/ विड़ियो क्रान्फ्रेंस में भाग लेने हेतु आदेशित किया है, वे आवश्यक रूप से भाग लेवें, अन्यथा स्थिति में पूर्वानुमति से अधीनस्थ को अधिकृत करने के बाद ही भाग लेने हेतु अनुमत करावें।

उक्तानुसार सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी/कार्मिक बैठक/कार्यशाला तथा विड़ियो क्रान्फ्रेंस में मर्यादित व्यवहार करेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त ग्रुप अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी,कार्यालय हाजा।
9. वरिष्ठ सम्पादक, 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर